



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/001 01.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: 31 मार्च, 2026 के बाद भी आरओडीटीईपी योजना का निरंतर संचालन**

डीजीएफटी ने 31

मार्च 2026 को अधिसूचना संख्या 74/2025-26 जारी कर सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए आरओडीटीईपी योजना को 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने के संबंध में सूचित किया है।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:**

01.04.2026 से 30.09.2026 की अवधि के दौरान किए गए पात्र निर्यात, योजना की मौजूदा शर्तों के अधीन, 31.03.2026 को लागू दरों और मूल्य सीमा पर आरओडीटीईपी लाभ के हकदार बने रहेंगे।

योजना से संबंधित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे यहां दी गई अधिसूचना देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/202604011211\\_06.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604011211_06.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

, उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

, प्लेक्सकॉन्सिल